जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना **मैसर्स श्री भोमिया जी माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 08/2023, क्षेत्रफल 4.9800 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,03,044 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 43, निकट ग्राम–डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 28.3842 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–24,97,544 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में **ग्राम पंचायत भवन चक बन्धा नम्बर 1 (साँखला बस्ती), तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **13.11.2024** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों को विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	**मैसर्स श्री भोमिया जी माईन्स एण्ड मिनरल्स**	**08/2023**	**4.9800 हैक्टेयर**	**4,03,044 टी.पी.ए. (रोम)**
2	**मैसर्स श्री यश अग्रवाल**	**42/2021**	**3.9890 हैक्टेयर**	**3,88,700 टी.पी.ए (रोम)**
3	**मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरल्स**	**11/2021**	**3.9892 हैक्टेयर**	**2,45,300 टी.पी.ए (रोम)**
4	**मैसर्स आर.एस.सी. माईन्स एण्ड मिनरल्स**	**57/2020**	**3.9900 हैक्टेयर**	**3,85,580 टी.पी.ए (रोम)**
5	**मैसर्स श्रीमति पुष्पा कँवर**	**20/2021**	**3.9877 हैक्टेयर**	**3,95,120 टी.पी.ए (रोम)**
6	**मैसर्स श्री माईन्स एण्ड मिनरल्स**	**05/2021**	**3.4605 हैक्टेयर**	**3,08,000 टी.पी.ए (रोम)**
7	**मैसर्स श्री राजेश कुमार**	**43/2021**	**3.9878 हैक्टेयर**	**3,71,800 टी.पी.ए (रोम)**

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 11.10.2024 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री भोमिया जी माईन्स एण्ड मिनरल्स** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स मंत्राज़ ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड''** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स मंत्राज़ ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड''** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **खसरा नम्बर 43, निकट ग्राम–डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में खनिज– बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **एम.एल. नम्बर 08/2023,** कुल खनन क्षेत्रफल **4.9800** हेक्टेयर, तथा उत्पादन क्षमता **4,03,044 टी.पी.ए. (रोम)** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री परमाराम, निवासी सॉंखला बस्ती द्वारा आक्षेप किया गया कि खनन इकाई द्वारा जनसुनवाई के दौरान रोजगार, गांव को सुविधाएँ प्रदान करने एवं नियमों की पालना करने संबंधी अनेक आश्वासन दिये जाते हैं परन्तु खनन कार्य करने शुरू होने के पश्चात उपरोक्त आश्वासनों की अनदेखी की जाती हैं। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर को खनन कार्य शुरू होने के उपरान्त नियमित जॉंच करवाने हेतु निर्देशित किया।

श्री परमाराम, निवासी सॉंखला बस्ती द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया कि क्षेत्र में स्थित खनन पट्टा धारकों द्वारा मनमाने तरीके से खनन कार्य किया जाता है जिससे आस–पास के किसानों को परेशानी का सामना करना पडता है एवं खनन के दौरान किये गये खड्डों में गिरने से अनेक पशु मर जाते है। अतः उक्त खनन इकाई के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

एवं कहा गया कि आप द्वारा उक्त शिकायत का समाधान नहीं किये जाने पर मुख्यालय, जयपुर स्तर पर शिकायत अग्रेषित की जायेगी। जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि अगर किसी खनन इकाई द्वारा खनन पट्टा जारी करते समय स्वीकृति शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो उसकी लिखित शिकायत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अथवा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में कर सकते है। इस सम्बन्ध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन पट्टा धारक को खनन पट्टा जारी करते समय स्वीकृति समस्त शर्तों की पालना करने हेतु निर्देशित किया जिसके प्रत्युत्तर में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन हेतु प्राप्त स्वीकृति में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने का आश्वासन दिया गया।

तत्पश्चात श्री नत्थूराम नायक, निवासी साँखला बस्ती द्वारा खनन पट्टा धारक से उक्त खनन इकाई स्थापित होने से ग्रामवासियों को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी चाही गई। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन कार्य के दौरान लगभग 23 श्रमिकों की आवश्यकता होगी जिसमें योग्यता के आधार पर स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही प्रदूषण रोकने हेतु हरित पट्टी का विकास किया जायेगा एवं धूल दमन हेतु सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा।

श्री अशोक सिंह, निवासी साँखला बस्ती द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि पूर्व में स्थापित खनन इकाईयों द्वारा नियमों की पालना नहीं किये जाने के कारण ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पडता है जैसे कि गाँव के रास्ते खराब कर दिये जाते है, खनन के खड्डों में गिरने से पशु मर जाते है। अतः क्षेत्र के सभी खनन पट्टा धारकों को नियमों की पालना करने हेतु पाबन्द किया जायें। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में स्थापित खनन इकाईयों एवं ग्रामवासियों के मध्य गतिरोध को दूर करने एवं दोनो के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु जल्दी ही एक बैठक आयोजन करवाया जायेगा जिसमें सभी ग्राम के प्रतिनिधियों एवं खनन पट्टा धारकों को आमंत्रित किया जायेगा।

श्री अशोक सिंह, निवासी साँखला बस्ती द्वारा आक्षेप लगाया गया कि पास ही स्थित वी.एस.एल.पी. थर्मल पावर प्लांट से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में कई बार लिखित में जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायत को ज्ञापन दिये गये है। इस प्लांट के कारण आस–पास की समस्त भूमि बंजर हो गई है साथ ही ग्रामवासी टी.बी. एवं अस्थमा से ग्रस्त हो रहे है परन्तु थर्मल प्लांट के प्रशासन द्वारा गाँव के लोगों के स्वास्थ्य हेतु कैम्प लगाकर जाँच करने की व्यवस्था नहीं की गई हैं। श्री गज्जेसिंह सरपंच, चक बन्धा नम्बर 1 (साँखला बस्ती) द्वारा भी आक्षेप लगाया गया कि वी.एस.एल.पी. थर्मल पावर प्लांट द्वारा राख को चिमनी से हवा में उड़ा दिया जाता है जो की गाँव के घरों में आकर इकट्ठी हो जाती है। पिछले पाँच साल में गाँव में अस्थमा के मरीज 10 प्रतिशत बढ़ गये है। प्लांट द्वारा गाँव के विकास हेतु सी.एस.आर फण्ड का उपयोग भी नहीं किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों से निवेदन किया गया कि उक्त जनसुनवाई प्रस्तावित खनन परियोजना **मैसर्स श्री भोमिया जी माईन्स एण्ड मिनरल्स** के सम्बन्ध में आयोजित की गई है अतः उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना से ही सम्बन्धित सुझाव एवं शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तथापि वी.एस.एल.पी. थर्मल पावर प्लांट से सम्बन्धित लिखित शिकायत पृथक से कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकते है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढावा देने के उद्देश्य से खनन इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही खनन इकाईयों को पर्यावरण संरक्षण करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी जारी किये जाते है। खनन पट्टा धारकों द्वारा नियमों की पालना नहीं करने से सम्बन्धित शिकायतें कार्यालय को अनेक बार प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में खनन पट्टा धारकों के साथ एक बैठक का शीघ्र ही आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं खान विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियो को आश्वासन दिया गया कि क्षेत्र में स्थित समस्त खनन इकाईयों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनी प्रावधानों की पालना करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य खनन इकाई द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यो/प्रयासों के बारे में जन मानस को अवगत करवाना है। खनन इकाई द्वारा सरकार द्वारा जारी नियमों की पालना करने के सम्पूर्ण प्रयास किये जाने चाहिये।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
जिला–बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स श्री भोमिया जी माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 08 / 2023, क्षेत्रफल 4.9800 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,03,044 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 43, निकट ग्राम–डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स श्री भोमिया जी माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम. एल. नम्बर 08 / 2023, क्षेत्रफल 4.9800 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,03,044 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री यश अग्रवाल, एम.एल. नम्बर 42 / 2021, क्षेत्रफल 3.9890 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,88,700 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स उर्विजा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 11 / 2021, क्षेत्रफल 3.9892 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता, 2,45,300 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स आर.एस.सी. माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 57 / 2020, क्षेत्रफल 3.9900 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,85,580 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्रीमति पुष्पा कँवर, एम.एल. नम्बर 20 / 2021, क्षेत्रफल 3.9877 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,95,120 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 05 / 2021, क्षेत्रफल 3.4605 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,08,000 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री राजेश कुमार, एम.एल. नम्बर 43 / 2021, क्षेत्रफल 3.9878 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,71,800 टी.पी.ए (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 28.3842 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–24,97,900 टी.पी.ए.(रोम) में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन परियोजना प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.11.2024 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन चक बन्धा नम्बर 1 (साँखला बस्ती), तहसील–कोलायत,
जिला–बीकानेर

दिनांकः–13.11.2024 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय / निवासी	हस्ताक्षर
1.	राकेश कुमार नायक	उपखंड अधिकारी, कोलायत	[signature]
2.	गज्जेसिंह	सरपंच	[signature]
3.	Raj Kumar Meena	Regional officer RSPCB, Bikaner	[signature]
4.	Girish Vyas	RSPCB, Bikaner	[signature]
5.	Radheshyam Swami	JEE, RSPCB, Bikaner	Radhey
6.	देवेन्द्र शर्मा	बीकानेर	देवेन्द्र शर्मा
7.	सुरेश	बीकानेर	सुरेश
8.	Mukesh Patel	Morbi (Guj)	[signature]
9.	Jay Patel	Morbi (Guj)	J. [signature]

10.	Girish Agarwal	D-372, M.D.V Bikaner	[signature]
11.	Pramod Singh	Mine Partner	[signature]
12.	Piyush Patel	Mining Partner	[signature]
13.	[illegible]	महेन्द्र कोलायत	[signature]
14.	रायसाहब विश्नोई	माइनर पार्टनर	RajBishnoi
15.	Shyam K. Ranga	Bikaner	[signature]
16.	Mayank Bhatiya	Bikaner	[signature]
17.	Prashant Ranga	Bikaner	Prashant
18.	Arvind	Bikaner	[signature]
19.	Ashok Singh	Sankhla Basti	[signature] 13/11/2024
20.	सुखाराम	सांखला बस्ती	[thumb impression]
21.	सुजान सिंह	सांखला बस्ती	[thumb impression]
22.	राजूराम	सांखला बस्ती	[thumb impression]
23.	नोरंग राम	सांखला बस्ती	[signature] नोरंग राम
24.	इशरराम	सांखला बस्ती	[thumb impression]
25.	नाथूराम	गांव उदा	[signature]
26.	शंकर राम	सांखला बस्ती	[thumb impression]
27.	परमाराम	सांखला बस्ती	[thumb impression]
28.	अतुल गहलोत	Bikaner	[signature]
29.	तुषार सोलंकी	Bikaner	[signature]
30.	Sanjay Verma.	Environmental Consultant Jaipur.	Sanjay
31.	Karan singh	Environment Consultant Jaipur	[signature]
32.	Manish Kalra	Bikaner	[signature]

33.	Sunil Kumar	Bikaner	सुनील
34.	Manoj Sevag	Bikaner	[illegible]
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			